1/100968/2023

ई फाईल संख्या47106-

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखंण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग2- देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी,2023

विषयः **वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विधानसभा धारचूला डीडीहाट गंगोलीहाट में विभिन्न श्रेणी के मार्गों में स्थित क्लास बी0 लोडिंग के सेतुओं को क्लास ए में उच्चीकृत किये जाने के लिए प्रथम चरण के 03 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोडा द्वारा संलग्न विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अंतर्गत कुल **03 span** एवं लागत **₹86.52 लाख है,** पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि **₹86.52 लाख (₹ छियासी लाख बावन हज़ार मात्र**)की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु **प्रति कार्य ₹ 010. लाख (₹ दस हज़ार मात्र) की दर से 03कार्यों हेतु 30.0 ₹ लाख (₹तीस हज़ार मात्र)**की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-:

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या1764-/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17जून, 2010की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिर्पोट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/।।।(1)/19-190(पी.डब्लू.डी)/2001 टी.सी।। दिनांक 05.02.2020का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
ii. आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
iii. कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
iv. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
v. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
vi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017-एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से

अनुपालन किया जायेगा।

vii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:2047-/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी. भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xi. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या1403-/III(2)/21-08(सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय04- जिला तथा अन्य सड़कें337- सड़क निर्माण कार्य03- राज्य सेक्टर0302- नया निर्माण कार्य53- वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा ।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग2- के कम्प्यूटर जनित संख्या- I/ 99822/2023 दिनांक 15 फरवरी ,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar

Date: 21-02-2023 10:27:22

(विनीत कुमार)

अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा .मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षे0कार्या0, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग2-, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो.नि.वि., पिथौरागढ।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0.खण्ड/नि0खण्ड/बेरीनाग, लो .नि .वि., गंगोलीहाट।
12. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

/100968/2023

संयुक्त सचिव

E- FILE No- 47106 का संलग्नक

धनराशि लाख रू. में

क0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रू0 में)	चालू वित्तीय वर्ष मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	''राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्रधारचूला में थल-मुनस्यारी-मोटर मार्ग (एस0एच0-11) के कि0मी0 154, 159, 164 एवं 173 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग डेढ़ लेन) सेतुओं का निर्माण)) (कार्य। (प्रथम चरणRFQ एवं TOR के अनुसार(''	30 mtr, 24 mtr, 90 mtr, 60 mtr (4 No.)	49.80	0.10
2	''राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्रडीडीहाट में-अल्मोड़ा-बेरीनाग-अस्कोट मोटर मार्ग (राज्य 03-मार्ग संख्या) के कि0मी0 93.00 में रामगंगा नदी पर पूर्व निर्मित 'बी' क्लास लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग डेढ़ लेन)) (सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)RFQ एवं TOR के अनुसार(''	90 mtr. (1.5 लेन)	18.00	0.10
3	''राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्रगंगोलीहाट में डंगोली सैलानी-दाडिमखेत धरमधरकोटमन्या पाँखू थल सातसिलिंग एस0)एच0-60) मोटर मार्ग के कि0मी0 118.00 एवं कि0मी0 127.00 में पूर्व निर्मित 'बी' क्लास लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग डेढ़ लेन) सेतुओं का)) (निर्माण कार्य। (प्रथम चरणRFQ एवं TOR के अनुसार(''	36.00 mtr, 36.00 mtr 2 No. Span	18.72	0.10
	योगः–	......	86.52	0.30

(कुल रू. **तीस** हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 21-02-2023 11:17:41
Reason: Approved

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/100968/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23020220033
आवंटन पत्र दिनांक-22-FEB-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	2770000	30000	0	2800000
योग	2770000	30000	0	2800000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक–235/20 याता0'क'/2023 दिनांक– 01 / 03/2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निमाण विभाग, अल्मोड़ा

2– अधीक्षण अभियन्ता, 03 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग/~~गंगोलीहाट~~।

4–अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– अपर सहायक अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष